झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

डब्ल्यू0 पी0 (पी0आई0एल0) सं0–1320 वर्ष 2017

मुख्तार अहमद अंसारी, पे0 स्वर्गीय मो0 जहीरूद्दीन अंसारी, निवासी–मुंशी मोहल्ला, डाकघर एवं थाना–रोड मानगो, जिला–पूर्वी सिंहभूम

..... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य
2. प्रधान सचिव, कल्याण विभाग, झारखंड सरकार, रांची
3. अध्यक्ष, झारखंड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, गोंडा, रांची
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झारखंड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, गोंडा, रांची
5. मोहम्मद आलम अंसारी, सदस्य
6. तेहजुबुल हसन शिया, सदस्य
7. अबू बकर, आई0ए0एस0, नामित सदस्य

..... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश**

माननीय न्यायमूर्ति श्री अमिताभ के0 गुप्ता

याचिकाकर्त्ता के लिए :– मेसर्स राजीव कुमार, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए :– मेसर्स शरद कुमार, ए0ए0जी0 के जे0सी0

05 / दिनांकः 17 नवंबर, 2017

श्री डी0एन0 पटेल, कार्य0मु0न्याया0

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने आज से एक सप्ताह के भीतर कार्यालय द्वारा इंगित खामियों, विशेष रूप से न्यायालय शुल्क को दूर करने का वचन दिया।

2. जहां तक मामले के गुण–दोष का संबंध है, याची के अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि प्रार्थना संख्या 1 (क) के मामले की जांच करने और आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रत्यर्थी–राज्य को निर्देश दिया जाता है तो यह मामले के निपटान के लिए पर्याप्त होगा। जहां तक पैरा 1 (ख) में की गई प्रार्थना का संबंध है, यह एक व्यक्तिगत मामला है, इसलिए, लोकहित वाद मान्य नहीं है।

3. सीमित प्रस्तुतीकरण को ध्यान में रखते हुए, कि वे झारखंड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के गठन के लिए समय–समय पर संशोधित वक्फ अधिनियम, 1995 पर विचार करें। यह निर्णय प्रतिवादी–राज्य द्वारा यथासंभव शीघ्र और व्यवहार्य रूप से लिया जाएगा।

4. जहां तक पैरा 1 (ख) में निहित प्रार्थना का संबंध है, कोई रिट जारी नहीं की जा सकती है क्योंकि यह प्रबंध समिति और उसके सदस्यों की नियुक्ति के खिलाफ है। यदि कोई व्यक्ति ऐसी नियुक्ति से व्यथित है, तो रिट याचिका (सिविल) दायर की जा सकती है। इसलिए प्रार्थना संख्या 1 (बी) के लिए एक जनहित याचिका में कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता है।

5. इन टिप्पणियों के साथ यह रिट याचिका, इसके द्वारा, निपटाई जाती है।

6. न्यायालय शुल्क का भुगतान एक सप्ताह के भीतर किया जाएगा।

(डी0एन0 पटेल, कार्य0मु0न्याया0)

(अमिताभ के0 गुप्ता, न्याया0)